

दूरभाष : 26175246
Phone : 26176055
26191574
टेलीफैक्स : 26191572
Telefax :
E-mail : ddhts-nc-dol@nic.in

3/8/2005-उ०नि० (मध्योत्तर)/1501-2500
संख्या/No.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (NORTH CENTRAL)
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME

पूर्वी खंड-7, तल-6,
East Block-7, Level-6,
रामकृष्णपुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated. 24-3-11.....

सेवा में

कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा),
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

विषय - हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जुलाई-नवंबर, 2011 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा
प्राज्ञ दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं के प्रशिक्षण का
नया सत्र शुक्रवार 01 जुलाई, 2011 पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारम्भ होगा। कृपया अपने कार्यालय
के हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पत्र के अंत
में दिए गए नमूने के अनुसार तैयार कर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 15 जून, 2011 तक
अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

मई, 2011 में प्रबोध तथा प्रवीण की परीक्षाओं में बैठने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को
भी अगली कक्षा के लिए नामित करें तथा मई, 2011 की परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले
परीक्षार्थियों को भी पुनः उसी कक्षा के लिए नामित करें। हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के
प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए।

(डॉ. राज/निदेशक 24.3.11
द्वारा)

.....2/-


1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता
1.	प्रबोध	01 जुलाई 2011 से नवंबर 2011 तक 5 महीने 2-2 घंटे (एकांतर दिवस)	नवंबर 2011	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलगु, अंग्रेज़ी, मणिपुरी, मिज़ो, भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी /कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
2.	प्रवीण	-वही-	-वही-	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है। सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
3.	प्राज्ञ	1-1 घंटे (एकांतर दिवस)	-वही-	यह अंतिम पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। उर्दू कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारियों को भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

विशेष:-वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0 (प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल 1967 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से "ग" में आए कार्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें।

.....3/-


२२.३.११
(डॉ. राज किशन चतुर्वेदी)

2. कंप्यूटर पर भाषा प्रशिक्षण

योजना भवन प्रशिक्षण केंद्र पर कंप्यूटर पर भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है, जो भी कर्मी कंप्यूटर पर भाषा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन्हें योजना भवन केंद्र के लिए नामित करें।

3. परीक्षा हेतु आवेदन पत्र के संबंध में

इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर, 2011 में आयोजित की जाएंगी। हिंदी शिक्षण योजना के अधीन चलने वाली हिंदी कक्षाओं के प्रशिक्षार्थियों के आवेदन पत्र दिनांक 16.8.2011 तक उप निदेशक (मध्योत्तर) के कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। सरकारी उपक्रमों/बैंकों आदि के परीक्षार्थियों को प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ की परीक्षाओं के लिए रुपये 100/- प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो उप निदेशक (परीक्षा) नई दिल्ली के पक्ष में देय होना चाहिए, भेज दें।

जिन कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की विभागीय व्यवस्था की है अथवा जिनके प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से तैयारी कर नवंबर, 2011 सत्र की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे प्राइवेट रूप से परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षार्थियों के विधिवत निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए परीक्षा के आवेदन पत्र नामिनल रोल दो प्रतियों द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में सहित उप निदेशक (मध्योत्तर) के कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 16.8.2011 है। ये परीक्षा फार्म सीधे उप निदेशक (परीक्षा) को न भेजकर उप निदेशक (मध्योत्तर) को भेजे जाएं जिससे प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, समय सारणी एवं परीक्षा केंद्र की सूचना यथासमय पहुंचाने में सुविधा हो।

4. पाठ्यपुस्तकें

कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जुलाई, 2010 सत्र से प्राज्ञ का नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है। जो कार्यालय अपने कार्मिकों को प्राइवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित करवाना चाहते हैं वे कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए "प्राज्ञ" का नया पाठ्यक्रम ही लागू करना सुनिश्चित करें।

5. प्रोत्साहन

हिंदी भाषा प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ

	अंक प्राप्त करने पर	55%	60%	70%
1	प्रबोध	रु. 200	रु. 400	रु. 600
2.	प्रवीण	रु. 400	रु. 800	रु. 1200
3.	प्राज्ञ	रु. 400	रु. 800	रु. 1200

(डॉ. राज मिलन व्यास)

.....4/-

कक्षाओं में उपस्थिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा0भा0(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। इसके अलावा कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केन्द्र प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के इच्छुक है तो वह सुनिश्चित करे कि जो भी कक्षा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) चलानी हो उसके लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों की संख्या उपलब्ध हो। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.6.2011 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि से यह भी अनुरोध है कि वे हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें। सभी मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ के लिए अंशकालिक केन्द्रों एवं नियमित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची इसके साथ संलग्न है। जारी किए गए कक्षाओं के गठन के निदेश राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आस पास के शहरों यथा फरीदाबाद, गुड़गांव, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाजियाबाद इत्यादि पर भी लागू होंगे।

केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों से यह भी अनुरोध है कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण के लिए (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में समयबद्ध कार्यक्रम बनवाकर अधिक से अधिक प्रशिक्षार्थियों को नामित करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त जहां तक संभव हो नामित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में स्थानांतरित न किया जाए और न ही उनके नाम वापिस लिए जाएं।

सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि सत्र जुलाई, 2011 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2015 को प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग सराहनीय होगा।

भवदीय,

(डॉ० राम मिलेन व्यास)
उप निदेशक(मध्योत्तर)

नोट:- अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित तथा दूरभाष एवं फैक्स नंबर भी भिजवाएं। यदि ई मेल का पता भी दे सकें तो बहुत सुविधा होगी।

पृष्ठांकन सं० 3/8/2005-उ०नि०(मध्योत्तर)/

दिनांक: , 2011

1. सचिव (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
5. तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ राजभाषा वेबसाइट प्रयोग हेतु।
6. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
7. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
9. सभी सहायक निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
10. हिन्दी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)
11. सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, जम्मू, चण्डीगढ़


22.3.11
(डॉ० राममिलन व्यास)
उप निदेशक(मध्योत्तर)

22.3.11

**उप निदेशक (मध्योत्तर) के अंतर्गत संचालित हिंदी प्रशिक्षण के सम्भावित केन्द्रों के पते
(सत्र जुलाई-नवंबर 2011)**

प्रशिक्षण केन्द्रों के नामों के लिए सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष
1	योजना भवन, 519 ए, संसद मार्ग, नई दिल्ली 1 योजना भवन, 519 ए, संसद मार्ग, नई दिल्ली 1	23096690/2529
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, न0दि0 10	25687114
3.	केन्द्रीय जल आयोग, पश्चिमी खंड-1, प्रथम तल, विंग-4 आर के पुरम, नई दिल्ली-66	
4.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, न0दि0	23098591/4558
5.	वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली	25697551/7529
6.	वायु सेना स्टेशन, अर्जुनगढ़, नई दिल्ली-56	
7.	एन0 टी0 पी0 सी0, बदरपुर, नई दिल्ली	
8.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन, न0दि0	25615203
9.	डी0एम0एस0 शादी पुर डिपो, नई दिल्ली	25860820/228
10.	पुलिस मुख्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली	
11.	शस्त्र सीमा बल, 25वीं बटालियन, घिटीरनी	
12.	लेडी हार्डिंग कॉलेज, कर्नाट प्लेस	
13.	नेशनल बुक ट्रस्ट, वसंत कुज	
14.	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग स्कूल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	
15.	सी.आई.एस.एफ., राजौरी गार्डन	
16.	आयुक्तालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुडगाँव	
17	हिंदी शिक्षण योजना का कार्यालय, 33, कर्ण नगर, जम्मू	
18	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय सेक्टर 17, चंडीगढ़	
19	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायु सेना हवाई अड्डा चंडीगढ़	
20	आई.टी.बी.पी., भानु	

(डॉ.  22-3-11
निलम व्यास)

संबंधित अधिकारियों एवं हिंदी प्राध्यापकों के दूरभाष नंबर

क्र.सं.	नाम	दूरभाष
1.	डॉ० राम मिलन व्यास	9868105025
2.	श्रीमती नीना पुंज	9899626516
3.	श्रीमती कमलेश बजाज	9868833938
4.	श्रीमती समीर त्रिखा	9911187268
5.	सुश्री कृष्णा देवी	9871608537
6.	श्री राजकुमार	9582854331
7.	श्रीमती नीपा शर्मा.	9899989821
8.	श्री आशा राम	9136237393
9.	श्रीमती प्रीति सिंह (चंडीगढ़)	99417166338
10.	श्री रामेश्वर लाल मीणा (जम्मू)	09018451848

29.3.11
डॉ. राम मिलन व्यास